सरकारी गजट, उत्तरांचल उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग—4, खण्ड (क) सामान्य परिनियम नियम देहरादून, सोमवार, 28 अप्रैल, 2003 ई0 बैषाख 08, 1925 शक सम्वत्

Uttaranchal Shasan
The Excise Commissioner Office, Uttaranchal

No.: 579

Dated: Dehradun, April 28, 2003

## **Notification**

सा0प0नि0-01

In exercise of the powers under section 41 of the U.P. Excise Act 1910 (U.P. Act No. IV of 1910), the Excise Commissioner, Uttaranchal with the previous sanction of the State Government makes the following rules with a view to amend the Uttaranchal Excise (Settlement of Licence for Retail Sale of Country Liquor) Rules 2001.

The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Country Liquor) (Sixth Amendment) Rules, 2003.

### (1). Short Title and Commencement

- (5) These Rules may be called The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Country Liquor) (Sixth Amendment) Rules, 2003.
- (6) They shall come into force from 1<sup>st</sup> May 2003.

### (2) Amendment of Rules:

In the Uttaranchal Excise (Settlement of Licences For Retail Sale of Country Liquor) Rules 2001, as amended upto date, hereinafter referred to as

the said Rules, for Rule 2(g)(i), 6(a)(b), 8(a)(b)(c)(d)(e), 9(a), 11(a)(b)(c) & 13 set out in column No. I below, the rule set out in column No. II shall be substituted:-

### Column I

2. Definitions:

(g) "Licence fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the licence for exclusive privilege for selling of country liquor in retail under section 24 of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole of the Excise year or part thereof.

Provided that for the period starting from 01 May 2002 and ending on 31.3.2003 the amount of licence fee shall be equal to :--

Total amount of licence fee fixed for the year 2002-2003 of that particular shop MINUS Amount of licence fee recovered during April 2002.

 "Annual Minimum Guaranteed Quantity" for a shop shall be 12 times the "Monthly Minimum Guaranteed Quantity" fixed for it.

Provided that for the period starting from 01 May 2002 and ending on 31.3.2003 the Annual Minimum Guaranteed Quantity for a shop shall be equal to:-

Annual Minimum Guaranteed Quantity Fixed for the year 2002-2003 of that particular shop MINUS Part of Annual Minimum Guaranteed Quantity lifted during April 2002.

The total of above quantity shall be devided into 11 equal parts and each of this part shall be called Monthly Minimum Guaranteed Quantity for each month during the period 01.05.2002 to 31.3.2003.

### 6. Licence fee and security deposit:

The licence in form C.L.-5C shall be granted for the period of an Excise Year or part thereof on payment of:

a.At the time of settlement of shop licence fee in advance on following rates:

Category "Annual Minimum guranteed Quantity" range in bulk litre (on the basis of actual consuption of the shop during 2001-02) Licence fee per shop (in Rupees)

Upto 12,000

50,000.00

### Column II

### 2. Definitions:

(g) "Licence fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the licence for exclusive privilege for selling of country liquor in retail under section 24 of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole of the Excise year or part thereof.

Provided that for the period starting from 01 May 2003 and ending on 31.3.2004 the amount of licence fee shall be equal to:--

Total amount of licence fee fixed for the year 2003-2004 of that particular shop MINUS Amount of licence fee recovered during April 2003

(i) "Annual Minimum Guaranteed Quantity" for a shop shall be 12 times the "Monthly Minimum Guaranteed Quantity" fixed for it.

Provided that for the period starting from 01 May 2003 and ending on 31.3.2004 the Annual Minimum Guaranteed Quantity for a shop shall be equal to:-

Annual Minimum Guaranteed Quantity Fixed for the year 2003-2004 of that particular shop MINUS Part of Annual Minimum Guaranteed Quantity lifted during April 2003.

The total of above quantity shall be devided into 11 equal parts and each of this part shall be called Monthly Minimum Guaranteed Quantity for each month during the period 01.05.2003 to 31.3.2004.

### 6. Licence fee and security deposit:

The licence in form C.L.-5C shall be granted for the period of an Excise Year or part thereof on payment of:

a.At the time of settlement of shop licence fee in advance on following rates:

Category" Annual Minimum guranteed
Quantity" range in bulk litre (on
the basis of actual consuption of
the shop during 2002-03)

Licence fee
per shop (in
Rupees)

2.	12,001 to 30,000	1,00,000.00
3.	30,001 to 60,000	2,00,000.00
4.	60,001 to 1,00,000	4,00,000.00
5.	1,00,001 to 1,50,000	6,00,000.00
6.	1,50,001 to 3,00,000	8,00,000.00
7.	3,00,001 and above	10,00,000.00

Note:- One bulk litre of Spiced Country Liquor of 36% v/v will be equivalent to 36/25 bulk litre of Plain Country Liquor of 25% v/v.

a. A sum equal to one month's Monthly Minimum Guranteed Duty in cash to be deposited in govt. treasury as interest free security deposit shall be payable within two days from the date of settlement of the shop and a bank guarantee equal to one month's Minimum Guaranteed Duty from a scheduled bank in favour of Excise Commissioner or District Excise Officer, valid till the final settlement of all the claims and dues to the State Government in respect of the settled shop, shall be payable within Fifteen days from the date of settlement of shop.

### 8. Application for grant of licence:

- a. In case of an existing shop amount of licence fees and Annual Minimum Guaranteed Duty for the comming year shall be decided by the licencing authority on advice of District Excise Officer taking consideration of the consumption of the shop during the year 2001-2002. If the existing licensee (existing licensee means licensee of that particular shop on 30.4.2002) of a particular shop is ready to continue his shop, his licence shall be renewed for the remaining period of the year 2002-2003 after the payment of above stated amount of licence fee and Annual Minimum Guaranteed Duty payable as per the rules, otherwise the licence shall be treated as vacant and shall be settled with Garhwal Mandal Vikas Nigam or Kumaun Mandal Vikas Nigam or Registered Co-operative Societies of Ex-Army personnel through negotiations on the above stated revenue.
- b. Omitted.

1.	Upto 12,000	57,500.00
2.	12,001 to 30,000	1,15,000.00
3.	30,001 to 60,000	2,30,000.00
4.	60,001 to 1,00,000	4,60,000.00
5.	1,00,001 to 1,50,000	6,90,000.00
6.	1,50,001 to 3,00,000	9,20,000.00
7.	3,00,001 and above	11,50,000.00

Note: One bulk litre of Spiced Country Liquor of 36% v/v will be equivalent to 36/25 bulk litre of Plain Country Liquor of 25% v/v.

a. A sum equal to one Month's Monthly Minimum Guranteed Duty in cash to be deposited in Government Treasury as interest free security deposit shall be payable within seven days from the date of settlement of the shop and a cash or Bank Guarantee of amount equal to one month's Minimum Guaranteed Duty from a scheduled bank in favour of Excise Commissioner or District Excise Officer, valid till the final settlement of all the claims and dues to the State Government in respect of the settled shop, shall be payable as security deposit within one month from the date of settlement of shop.

### 8. Application for grant of licence:

(a) Whenever a new licence is proposed to be granted in an area or locality, the Licensing Authority shall invite the applications for this purpose after giving wide publicity through daily news papers having circulation in that area or locality.

(b) A list of the retails shops of country liquor for which the Collector proposes to grant licence shall be exhibited alongwith shop wise licence fee, earnest money, security amount, Monthly Minimum Guranteed Quantity and Monthly Minimum Guarnteed Duty at the Collector's office, Tehsil Offices and the Office of the District Excise Officer.

- d. Omitted.
- e. Application for renewal of licence shall be made on prescribed form as appended to these rules on payment of Rs. 100/- in cash or Bank Draft payable to District Excise Officer.

### 9. Eligibility conditions for applicants:

Applicants for licence of a retail Country Liquor shop must fulfill the following conditions, namely:-

 Be a citizen of India and permanent resident of Uttaranchal as defined by the State Govt. from time to time.

### OR

A partnership firm having not more than two partners who are citizens of India and permanent resident of Uttaranchal as defined by the State Govt. from time to time. No change in partnership shall be allowed after allotment of shop(s). However if a licence is jointly held by two partners, in the event of death of either of them, the survivor along with the successor of deceased shall continue to hold the licence or in case of death of both partners their successors may continue to hold the licence. No distinction will be made between the legal liabilities of the two partners who will be jointly and severally responsible;

### 11. Selection of licence:

a) In case of an existing shop amount of licence fees and Annual Minimum Guaranteed Duty for the year shall be decided by the licencing authority on advice of District Excise Officer taking consideration of the consumption of the shop during the year 2001-2002. If the existing licensee (licensee of that particular shop on 30.4.2002) of a particular shop is ready to continue his shop, his licence shall be renewed for the remaining period of the year 2002-2003 after the payment of above stated amount of licence fee and Annual Minimum Guaranteed Duty payable as per the rules, otherwise the licence shall be treated as vacant and shall be settled with Garhwal Mandal Vikas Nigam or

- (c) Application for grant of licence shall be made on prescribed form, which can be obtained from the District Excise Officer on payment of Rs. 100/- in cash or Bank Draft payable to District Excise Officer.
- (d) The last date for the receipt of application shall fixed by the Excise Commissioner, Uttaranchal.
- e) Omitted.

### 9. Eligibility conditions for applicants:

Applicants for licence of a retail Country Liquor shop must fulfill the following conditions, namely:-

(b) Be a citizen of India and permanent resident of Uttaranchal as defined by the State Govt. from time to time.

### 11. Selection of licensees:

a. The District Excise Officer shall prepare a list of all applications received with summery report to be put before the district level committee for licensing. Kumaun Mandal Vikas Nigam or Registered Co-operative Societies of Ex-Army personnels through nigotitions on the above stated revenue.

In case the selected licensee does not deposit the required amount and does not fulfill the prescribed formalities or is unable to arrange suitable premise for the shop within stipulated period, the licensing authority shall cancel the allotment as well as forfeit earnest money, licence fee and security amount deposited, if any; and take steps for resettlement of the shop.

(b) Omitted.

(c) There shall be no upper limit in respect of number of shops to be allotted.

13. Payment of licence fee and security amount

In case an applicant is selected as licensee,

b. The said committee shall scrutinize all the applications and list out suitable candidates shopwise. In this process the committee may make or cause to be made such inquiries as it may deem necesary in view of the principles laid down in rule 9. A list of rejected applications along with the reasons of rejection recorded therein will also be prepared. If there are more than one eligible applicants for any particular shop the committee shall select the licensee for such shop by public lottery among all the applicants. The applicant shall have to ensure his or his authorised representative's presence at the time of selection/settlement so get the information to selection/settlement. In case the selected licensee does not deposit the required amount and does not fulfilll the prescribed formalities or is unable to arrange suitable premise for the shop within stipulated period, the licensing authority shall cancel the allotment as well as forfeit earnest money, licence fee and security amount deposited, if any; and take steps for resettlement of the shop.

### **Explanation:**

- (i) An applicant shall be deemed to be resident of State of Uttaranchal, as defined by the State Government from time to time..
- (c) In one district, only one retail shop of Country Liquor or Indian Made Foreign Liquor and Beer can be settled with a an individual licnesee, but there shall be no upper limit of number of Country Liquor or Indian Made Foreign Liquor and Beer shops to be settled with Garhwal/Kumaun Mandal Vikas Nigam, Co-operative Societies of Ex-Army personnels and Co-operative Institutions.

he shall deposit the entire amount of licence fee and the security amount equal to one month's Minimum Guaranteed Duty at once after the allotment/settlement of the shop, and a Bank Guarantee of amount equal to one month's Minimum Guaranteed Duty from a Scheduled Bank in favour of Excise Commissioner or District Excise Officer, valid till the final settlement of all the claims and dues to the State Government in respect of the settled shop within Fifteen days from the date of settlement of shop as stated in Rule-6(b) above. If he fails to deposit the amount of licence fee and security and Bank Guarantee, due within prescribed period, his selection/settlement shall stand cancelled and the earnest money, licence fee and security amount deposited, if any shall be forfeited in favour of the State Government and the vacant shop shall be resettled forthwith. The defaulter licensee shall be debarred from holding any excise licence in future anywhere in the State. A consolidated list of such defaulter licensees, under this rule, alongwith their complete addresses shall be forwarded by District Excise Officer to the Excise Commissioner who will circulate the consolidated list of the state to all the Licensing Authorities of the State.

### 13. Payment of licence fee and security amount:

In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee at once after the allotment of the shop, and the security amount equal to one month's Minimum Guaranteed Duty within seven days and a cash or Bank Guarantee of amount equal to one month's Minimum Guaranteed Duty from a Scheduled Bank in favour of Excise Commissioner or District Excise Officer, valid till the final settlement of all the claims and dues to the State Government in respect of the settled shop within one month from the date of settlement of shop as stated in Rule-6(b) above. If he fails to deposit the amount of licence fee and security and Bank Guarantee, due within prescribed period, his selection/settlement shall stand cancelled and the earnest money, licence fee and security amount deposited, if any shall be forfeited in favour of the State Government and the vacant shop shall be resettled forthwith. The defaulter licensee shall be debarred from holding any excise licence in future anywhere in the State. A consolidated list of such defaulter licensees, under this rule, alongwith their complete addresses shall be forwarded by District Excise Officer to the Excise Commissioner who will circulate the consolidated list of the state to all the Licensing Authorities of the State.

By Order

(B.C. Chandola)
Excise Commissioner,
Uttaranchal.

देशी मदिरा की (भू गृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिये फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन दे0म0 5 ग हेतु आवेदन पत्र)

पंजीव	करण संख्या	आबकारी	वर्ष
(काय	र्गालय द्वारा भरा जायेगा)		
आवेरि	देत दुकान का विवरण		
13.	जनपद का नाम		
14.	दुकान का नामथाना	***************************************	तहसील
15.	अनुज्ञापन शुल्क रू० शब्दों में		(अंकों में)

16. 17. 18.	मदिरा की 1.5.2003 से 31.3.2004 तक रूo(शब्दों में प्रतिभूति धनराशि (रूo)(शब्दों में	)(अंकों में)
	आवेदक का विवरण	g.
	1. आवेदक का नाम :	
	2. पिता / पति का नाम :	
	3. लिंग : पुरूष / महिला :	
	4. स्थायी पता :	
	दुकान नम्बर	आवेदक का प्रमाणित फोटोग्राफ
	मोहल्ला ग्राम	];
	थाना	
	तहसील	
	जनपद / राज्य	
	दूरभाष	-
6.	जमा धरोहर धनराशि का विवरण : —	
	(अ) बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर संख्या व वि	देनांक
	(a) **	

उपरोक्त विवरण मेरी / कोआपरेटिव सोसायटी / सहकारी संस्था की जानकारी से पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा / कोआपरेटिव सोसायटी / सहकारी संस्था का प्रार्थना पत्र निरस्त करने योग्य होगा व धरोहर राशि जब्त करने योग्य होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा / कोआपरेटिव सोसायटी / सहकारी संस्था का अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा तथा साथ ही मेरी / कोआपरेटिव

सोसायटी / सहकारी संस्था की लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं / कोआपरेटिव सोसायटी / संस्था इस तथ्य से भिज्ञ हूँ / हैं कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सातिथि)

(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

श्री / श्रीमती / कुमारी	पुत्र/पत्नी/पुत्री
निवार	ñ
का	देशी मदिरा/विदेशी मदिरा एवं
बियर की फुटकर दुकान	हेतु प्रार्थना पत्र धरोहर
धनराशि बैंक ड्राफ्ट व शपथ पत्र के साथ प्राप्त किया	गया जिसे रजिस्टर के क्रमांक
पर दर्ज किया गया।	

दिनांक : -

कार्यालय सील

आबकारी अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

समय: -

सरकारी गजट, उत्तरांचल उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग—4, खण्ड (क) सामान्य परिनियम नियम देहरादून, सोमवार, 28 अप्रैल, 2003 ई0 बैषाख 08, 1925 शक सम्वत्

# Uttaranchal Shasan The Excise Commissioner Office, Uttaranchal

No.: 580

Dated:Dehradun, April 28, 2003

### NOTIFICATION

In exercise of the powers under section 41 of the U.P. Excise Act 1910 (U.P. Act No. IV of 1910), the Excise Commissioner, Uttaranchal with the previous sanction of the State Government makes the following rules with a view to amend the Uttaranchal Excise (Settlement of Licence for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) Rules, 2001.

The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) (Seventh Amendment) Rules, 2003.

(1). Short Title and Commencement

- (7) These Rules may be called The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) (Seventh Amendment) Rules, 2003.
- (8) They shall come into force from 1<sup>st</sup> May 2003.

(2) Amendment of Rules:

In the Uttaranchal Excise (Settlement of Licences For Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) Rules, 2001, as amended upto date, hereinafter referred to as the said Rules, for Rule 2(h)(j), 6(a)(b), 7(a)(b)(c)(d)(e), 8(a),

10(a)(b)(c), 12 set out in column No. I below, the rule set out in column No. II shall be substituted:-

### Column I

2(h) "Licence fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the licence for exclusive privilege for selling of Foreign Liquor & Beer in a retail shop under section 24-A of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole of the Excise year or part thereof.

Provided that for the period starting from 01 May 2002 and ending on 31.3.2003, the amount of licence fee shall be equal to:

Total amount of licence fee fixed for the year 2002-2003 of that particular shop MINUS Amount of licence fee recovered during April 2002.

2(j) "Annual Minimum Guranteed Quantity" for a shop shall be 12 times the "Monthly Minimum Guaranteed Quantity" fixed for it.

Provided that for the period starting from 01 May 2002 and ending on 31.3.2003 the Annual Minimum Guaranteed Quantity for a shop shall be equal to:-

Annual Minimum Guaranteed Quantity Fixed for the year 2002-2003 of that particular shop MINUS Part of Annual Minimum Guaranteed Quantity lifted during April 2002.

The total of above quantity shall be divided into 11 equal parts and each of this part shall be called Monthly Minimum Guaranteed Quantity for each month during the period 01.05.2002 to 31.3.2003

### 6. Licence fee and security deposit:

The licence in form F.L.-5D shall be granted for the period of an Excise Year or part thereof on payment of:

 At the time of settlement of shop, licence fee in advance on following rates:

Category "Annual Minimum guranteed Licence fee per Quantity" range in terms of shop (in Rupees)

IMFL of 750 ml bottle (on the

### Column II

2(h) "Licence fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the licence for exclusive privilege for selling of Foreign Liquor & Beer in a retail shop under section 24-A of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole of the Excise year or part thereof.

Provided that for the period starting from 01 May 2003 and ending on 31.3.2004, the amount of licence fee shall be equal to:

Total amount of licence fee fixed for the year 2003-2004 of that particular shop MINUS Amount of licence fee recovered during April 2003.

2(j) "Annual Minimum Guranteed Quantity" for a shop shall be 12 times the "Monthly Minimum Guaranteed Quantity" fixed for it.

Provided that for the period starting from 01 May 2003 and ending on 31.3.2004 the Annual Minimum Guaranteed Quantity for a shop shall be equal to:-

Annual Minimum Guaranteed Quantity Fixed for the year 2003-2004 of that particular shop MINUS Part of Annual Minimum Guaranteed Quantity lifted during April 2003.

The total of above quantity shall be divided into 11 equal parts and each of this part shall be called Monthly Minimum Guaranteed Quantity for each month during the period 01.05.2003 to 31.3.2004

### 6. Licence fee and security deposit:

The licence in form F.L.-5D shall be granted for the period of an Excise Year or part thereof on payment of:

a. At the time of settlement of shop, licence fee in advance on following rates:

Category "Annual Minimum guranteed Licence fee per

Quantity" range in terms of shop (in Rupees)

	-	
1.	Upto 6,000 bottle	50,000.00
2.	6,001 to 12,000 bottle	1,00,000.00
3.	12,001 to 25,000 bottle	2,00,000.00
4.	25,001 to 50,000 bottle	4,00,000.00
5.	50,001 to 75,000 bottle	6,00,000.00
6.	75,001 to 1,00,000 bottle	8,00,000.00
7.	1,00,001 and above bottle	10,00,000.00

basis of the actual consumption of

(b) A sum equal to one Month's Monthly Minimum Guranteed Duty in cash to be deposited in Government Treasury as interest free security deposit at once after the settlement of the shop and Bank Guarantee of amount equal to one month's Minimum Guaranteed Duty from a of scheduled bank in favour Excise Commissioner or District Excise Officer, valid till the final setlement of all the claims and dues to the State Government in respect of the settled shop, shall be payable as security deposit within fifteen days from the date of settlement of shop.

### 7. Application for grant of licence:

(a) In case of an existing shop amount of licence fees and Annual Minimum Guaranteed Duty for the comming year shall be decided by licencing authority on advice of District Excise Officer taking consideration of the consumption of the shop during the year 2001-2002. If the existing licensee (licensee of that particular shop on 30.4.2002) of a particular shop is ready to continue his shop, his licence shall be renewed remaining period of the year 2002-2003 after the payment of above stated amount of licence fee and Annual Minimum Guaranteed Duty payable as per the rules, otherwise the licence shall be treated as vacant and shall be settled with Garhwal Mandal Vikas Nigam or Kumaun Mandal Vikas Nigam or Registered Co-operative societies of Ex-Army personnel

IMFL of 750 ml bottle (on the basis of the actual consumption of the shop during 2002-03)

1.	Upto 6,000 bottles	57,500.00
2.	6,001 to 12,000 bottles	1,15,000.00
3.	12,001 to 25,000 bottles	2,30,000.00
4.	25,001 to 50,000 bottles	4,60,000.00
5.	50,001 to 75,000 bottles	6,90,000.00
6.	75,001 to 1,00,000 bottles	9,20,000.00
7.	1,00,001 and above bottles	11,50,000.00

(b) A sum equal to one Month's Monthly Minimum Guranteed Duty in cash to be deposited in Government Treasury as interest free security deposit shall be payable within seven days from the date of settlement of the shop and a cash or Bank Guarantee of amount equal to one month's Minimum Guaranteed Duty from a scheduled bank in favour of Excise Commissioner or District Excise Officer, valid till the final settlement of all the claims and dues to the State Government in respect of the settled shop, shall be payable as security deposit within one month from the date of settlement of shop.

### 7. Application for grant of licence:

(a) Whenever a new licence is proposed to be granted in an area or locality, the Licensing Authority shall invite the applications for this purpose after giving wide publicity through daily news papers having circulation in that area or locality.

through negotiations on the above stated revenue.

- (b) Omitted.
- (c) Omitted.

- (d) Omitted.
- (e) Application for renewal of licence shall be made on prescribed form as appended to these rules on payment of Rs. 100/- in cash or Bank Draft payable to District Excise Officer
- 8. Eligibility conditions for applicants:

Applicants for licence of a retail shop must fulfill the following conditions, namely:-

(a) Be a citizen of India and permanent resident of Uttaranchal as defined by the State Govt. from time to time.

OR

A partnership firm having not more than two partners who are citizens of India and permanent residents of Uttaranchal as defined by the State Govt. from time to time. No change in partnership shall be allowed after allotment of shops. However, if a licence is jointly held by two partners, in the event of death of either of them, the survivor along with the successor of deceased shall continue to hold the licence or in case of death of both partners their successors may continue to hold the licence. No distinction will be made between the legal liabilities of the two partners who will be jointly and severally responsible;

- (b). A list of the retails shops of foreign liquor and beer for which the Collector proposes to grant licence shall be exhibited alongwith shop wise licence fee and security amount etc. at the Collector's office, Tehsil Offices and the Office of the District Excise Officer.
- (c). Application for grant of licence shall be made on prescribed form, which can be obtained from the District Excise Officer on payment of Rs. 100/- in cash or Bank Draft payable to District Excise Officer.
- (d)The last date for receipt of application shall be fixed by the Excise Commissioner, Uttaranchal.
- (e).Omitted.
  - 8. Eligibility conditions for applicants:

Applicants for licence of a retail shop must fulfill the following conditions, namely:-

(a) Be a citizen of India and permanent resident of Uttaranchal as defined by the State Govt, from time to time.

### 10. Selection of licence:

(a) In case of an existing shops, amount of Licence Fees and Annual Minimum Guaranteed Duty for the year shall be decided by licencing authority on advice of District Excise Officer taking consideration of the consumption of the shop during the year 2001-2002. If the existing licensee (Licensee of that particular shop on 30.4.2002) of a particular shop is ready to continue his shop, his licence shall be renewed remaining period of the year 2002-2003 after the payment of above stated amount of licence fee and Annual Minimum Guaranteed Duty, payable as per the rules otherwise the licence shall be treated as vacant and shall be settled with Garhwal Mandal Vikas Nigam or Kumaun Mandal Vikas Nigam or Registered Co-operative Societies of Ex-Army personnel through negotiations on the above stated revenue.

In case the selected licensee does not deposit the required amount and does not fulfill the prescribed formalitites or is unable to arrange suitable premise for the shop within stipulated period, the licensing authority shall cancel the allotment as well as foreit earnest money, licence fee and security amount deposited, if any; and take steps for resettlement of the shop.

(b) Omitted.

### 10. Selection of licensees:

(a). The District Excise Officer shall prepare a list of all applications received with summery report to be put before the district level committee for licensing.

b. The said committee shall scrutinize all the applications and list out suitable candidates shopwise. In this process the committee may make or cause to be made such inquiries as it may deem necesary in view of the principles laid down in rule 9. A list of rejected applications along with the reasons of rejection recorded therein will also be prepared. If there are more than one eligible applicants for any particular shop the committee shall select the licensee for such shop by public lottery among all the applicants. The applicant shall have to ensure his or his authorised representative's presence at the time of selection/settlement so as to get the information of selection/settlement. In case the selected licensee does not deposit the required amount and does not fulfilll (c) In one district one person can be allotted a maximum of three shops, but there shall be no upper limit in respect of number of shop to be allotted to Garhwal/Kumaun Mandal Vikas Nigam or Registered Co-operative Societies of Ex-Army personnel.

## 12. Payment of licence fee and security amount .

In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee and the security amount equal to one month's Minimum Guaranteed Duty at once after the allotment/settlement of the shop and a Bank Guarantee of amount equal to one month's Minimum Guaranteed Duty from a Scheduled Bank in favour of Excise Commissioner or District Excise Officer, valid till the final settlement of all the claims and dues to the State Government in respect of the settled shop within Fifteen days from the date of settlement of the shop as stated in Rule-6(b) above. If he fails to deposit the amount of licence fee and security and

the prescribed formalities or is unable to arrange suitable premise for the shop within stipulated period, the licensing authority shall cancel the allotment as well as forfeit earnest money, licence fee and security amount deposited, if any; and take steps for resettlement of the shop.

### **Explanation:**

- (ii) An applicant shall be deemed to be resident of State of Uttaranchal, as defined by the State Government from time to time..
- (c) In one district, only one retail shop of Indian Made Foreign Liquor and Beer or Country Liquor can be settled with a an individual licnesee, but there shall be no upper limit of number of Indian Made Foreign Liquor or Country Liquor shops to be settled with Garhwal/Kumaun Mandal Vikas Nigam, Co-operative Societies of Ex-Army personnels and Co-operative Institutions.

12. Payment of licence fee and security amount

In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee at once after the allotment of the shop, and the security amount equal to one month's Minimum Guaranteed Duty within seven days and a cash or bank guarantee of amount equal to one month's Minimum Guaranteed Duty from a Scheduled Bank in favour of Excise Commissioner or District Excise Officer, valid till the final settlement of all the claims and dues to the State Government in respect of the settled shop within one month from the date of settlement of the shop as stated in Rule-6(b) above. If he fails to deposit the amount of licence fee and security and Bank Guarantee, due within

Bank Guarantee, due within prescribed period, his selection/settlement shall stand cancelled and the earnest money, licence fee and security amount deposited, if any, shall be forfeited in favour of the State Government and the vacant shop shall be resettled forthwith. The defaulter licensee shall be debarred from holding any excise licence in future anywhere in the state. A consolidated list of such defaulter licensees under this rule, alongwith their complete addresses shall be forwarded by District Excise Officer to the Excise Commissioner who will circulate the consolidated list of the State to all the licensing authorities of the State.

prescribed period, his selection/settlement shall stand cancelled and the earnest money, licence fee and security amount deposited, if any, shall be forfeited in favour of the State Government and the vacant shop shall be resettled forthwith. The defaulter licensee shall be debarred from holding any excise licence in future anywhere in the state. A consolidated list of such defaulter licensees under this rule, alongwith their complete addresses shall be forwarded by District Excise Officer to the Excise Commissioner who will circulate the consolidated list of the State to all the licensing authorities of the State.

By Order

(B.C. Chandola) Excise Commissioner, Uttaranchal.

देशी मदिरा की	(भू गृहादि पर	और उसके	बाहर	उपभोग	के लिये	फुटकर	बिक्री	के
	अनुज्ञापन	दे०म० 5 ग	ा हेतु	आवेदन	पत्र)			

	अनुज्ञापन दे०म० 5	ग हेतु आवेदन पत्र)
पंजीव	<sub>करण</sub> संख्या	आबकारी वर्ष
(काय	लिय द्वारा भरा जायेगा)	
आवेि	देत दुकान का विवरण	
19. 20. 21. 22. 23. 24.	अनुज्ञापन शुल्क रू० मदिरा की 1.5.2003 से 31.3.2004 रू० धरोहर राशि (रू०)(शब	थानातहसील शब्दों में(अंकों में) तक के लिये निर्धारित अधिभार की राशि दों में)(अंकों में) शब्दों में)(अंकों में)
	आवेदक का विवरण  1. आवेदक का नाम :  2. पिता / पित का नाम :  3. लिंग : पुरूष / महिला :  4. स्थायी पता :	
	दुकान नम्बर	आवेदक का प्रमाणित फोटोग्राफ
	मोहल्ला ग्राम	
	थाना	
	तहसील	
	जनपद / राज्य	
	दूरभाष	
6.		– ा व दिनांक

उपरोक्त विवरण मेरी/कोआपरेटिव सोसायटी/सहकारी संस्था की जानकारी से पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा/कोआपरेटिव सोसायटी/सहकारी संस्था का प्रार्थना पत्र निरस्त करने योग्य होगा व धरोहर राशि जब्त करने योग्य होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा/कोआपरेटिव सोसायटी/सहकारी संस्था का अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा तथा साथ ही मेरी/कोआपरेटिव सोसायटी/सहकारी संस्था की लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं/कोआपरेटिव सोसायटी/संस्था इस तथ्य से भिज्ञ हूँ/हैं कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सातिथि)

समय: -

(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)	
श्री / श्रीमती / कुमारी	पुत्र / पत्नी / पुत्री
	निवासी
	का देशी मदिरा/विदेशी मदिरा एवं
बियर की फुटकर दुकान	हेतु प्रार्थना पत्र धरोहर
धनराशि बैंक ड्राफ्ट व शपथ	पत्र के साथ प्राप्त किया गया जिसे रजिस्टर के क्रमांक
पर दर्ज किया गया।	
दिनांक : —	
	कार्यालय सील आबकारी अधिकारी द्वारा
	अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

संख्या:644-56 / सात-लाईसेंस-35 / बी०डब्ल्यू०एफ०एल०-2 / 2003-04

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त उत्तरांचल।

सेवा मे.

समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।

देहरादूनः निांक अप्रैल 29, 2003

विषयः राज्य से बाहर की आसवनियों को उत्तरांचल में ब्राण्ड अनुज्ञापन बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2/2बी स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत विदेशी मदिरा के बाण्ड अनुज्ञापन बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2 (विदेशी मदिरा एवं बियर थोक बिकी के लिए) बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2बी (केवल बीयर की थोक बिकी हेतु) अनुज्ञापन स्वीकृति के संबंध में वर्ष 2003–04 हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:–

- 1. वर्ष 2003—04 में पूरे अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क रू० 2,53,000/— तथा बी०डब्ल्यू०एफ०एल०—2बी हेतु अनुज्ञापन शुल्क रू० 1,26,500/— निर्धारित किया गया है। यदि माह अप्रैल, 2003 में कोई बाण्ड 1/12 भाग फीस जमा करा के चलवाया गया है ओर अनुज्ञापी वर्ष के शेष भाग के लिए नवीनीकरण कराना चाहता है तो उक्त फीस से माह अप्रैल 2003 में जमा कराई गयी धनराशि समायोजित कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त रू० 1,00,000/— की प्रतिभूति राशि पूर्ववत् जमा करायी जायेगी।
- 2. बाण्ड से बिकने वाली विदेशी मदिरा की बोतलों पर होलोस्टिकर्स का प्रयोग अनिवार्य है।
- 3. आसवक / ब्रिवरीज के आवेदकों को निर्धारित प्रपत्र बी०डब्ल्यू०एफ०एल०-1 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ बाण्ड के परिसर का

अनुमोदित विवरण तथा वर्ष 2002-03 में बिकी मदिरा के विवरण भी देने आवश्यक होंगे।

- 4. मदिरा की आपूर्ति केवल आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित धारिता की कांच की बोतलों में तथा बियर की आपूर्ति निर्धारित धारिता की कांच की बोतलों / टिन कन्टेनरों में करनी होगी।
- 5. आवेदक को बी०डब्ल्यू०एफ०एल०—3 बाण्ड भी नियमानुसार निष्पादित करना होगा। जो भी आसवनी / ब्रिवरीज उत्तरांचल में बी०डब्ल्यू०एफ०एल०—2 अथवा बी०डब्ल्यू०एफ०एल०—2बी लाइसेंस देना चाहते हों अथवा गत वर्ष के अनुज्ञापन का नवीनीकरण कराना चाहती है उनसे तत्काल आवेदन पत्र प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त उपरोक्तानुसार अनुज्ञापन शुल्क / प्रतिभूति जमा कराते हुए अनुमोदनार्थ आयुक्तालय को अग्रसारित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

बी०सी० चन्दोला आबकारी आयुक्त

संख्या:644-56 / सात-लाईसेंस-35 / बी०डब्ल्यू०एफ०एल०-2 / 2003-04 / तद्दिनांक प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
- 2. सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन देहरादून/नैनीताल।
- 3. समस्त आबकारी निरीक्षक, उत्तरांचल।

बी०सी० चन्दोला आबकारी आयुक्त संख्या:1061 / सात-लाईसेंस / (51) बार-नीति / 2003-04

प्रेषक, आबकारी आयुक्त उत्तरांचल

सेवा में, समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।

देहरादूनः दिनांक : अप्रैल 2, 2003

विषयः होटल एवं रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापनों को वर्ष 2003—04 हेतु व्यवस्थित किये जाने के संबंध में। महोदय

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या:312/18/आब0/2003-2004/ दिनांक:22.4.2003 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें वर्ष 2003-04 के लिए बार/क्लब बार अनुज्ञापनों के लिए निम्नवत् आदेश दिये गये हैं:-

- वर्ष 2003-04 के लिए बार / क्लब बार लाइसेंस देने के संबंध में तीन, चार व पांच सितारा होटलों को बार लाइसेंस दिये जाने की वर्तमान व्यवस्था को यथावत रखी गयी है।
- 2. अन्य होटलों व रेस्त्राओं को बार लाइसेंस दिये जाने के संबंध में उत्तरांचल शासन के आदेश संख्या:110—122/सात—लाईसेंस/बार—नीति/2001—02 दिनांक 6.4.2001 द्वारा जारी की गयी नीति का अनुसरण किया जायेगा।
- गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूं मण्डल विकास निगमों के पर्यटक आवास गृहों हेतु वित्तीय वर्ष 2002-03 में निर्धारित नीति शासनादेश संख्या:824/आब0/26/ 2002 दिनांक 02.10.2002 के अनुसार यथावत रखी जायेगी।
- 4. बार व क्लब बारों को लाइसेंस फीस में वर्ष 2003—04 के लिए कोई वृद्धि नहीं की गयी है। कृपया तदनुसार नवीनीकरण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

बी०सी० चन्दोला आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्या:1062—74 / सात—लाईसेंस / (51) बार—नीति / 2003—04 / तद्दिनांक प्रतिलिपिः समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

बी0सी0 चन्दोला आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल संख्या:1142-54 / सात लाईसेंस-48 / एफ0एल0-2ए / 2003-04

प्रेषक.

आबकारी आयुक्त उत्तरांचल।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।

देहरादूनः दिनांक मई 07, 2003

विषयः सेना की इकाईयों को मदिरा की आपूर्ति हेतु के संबंध में।

महोदय.

अवगत कराना है कि अभी तक उत्तरांचल में कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट के द्वारा कोई प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त न होने के कारण सेना के रम बंधित गोदाम (एफ0एल0-2ए) अनुज्ञापन प्राप्त नहीं किया जा सका है।

अतः यदि जनपद में यूनिट कैन्टीनों को मदिरा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है तो वे पूर्ववत सी०एस०डी० डिपो मेरठ/बरेली से प्राप्त कर सकती है परन्तु इसके लिए यनिट कैन्टीनों के सेना प्रभारी द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में नियमानुसार वांछित मदिरा / बियर की मात्रा के लिए आबकारी अभिकर की धनराशि एवं आयात परिमट हेतु (उ०प्र० आबकारी मैनुअल खण्ड-प्रथम के प्रस्तर 614) हेतु अग्रिम रूप से आयात फीस जमा करानी होगी। आबकारी अभिकर/आयात परिमट फीस की दरें निम्नानुसार हैं:-

## 1. आबकारी अभिकर की दर

(1) विदेशी मदिरा (व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन) 52 / - प्रति ए०एल०

(2) बियर

(अ) 5 प्रतिशत तीव्रता तक

(ब) 5 से 8 प्रतिशत तीव्रता की

(3) कंसेशन ड्यूटी रम

(4) भारतीय सेना एवं भारत तिब्बत सीमा शासनादेश संख्या:27/आबकारी/2002 पुलिस को दी जाने वाली रम उत्तरांचल देहरादून दिनांकः जनवरी 14, 2002 के के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात अन्तर्गत इस निर्धारित सीमा तक की भारतीय सैनिकों एवं भारत तिब्बत सीमा मदिरा के अभिकर की वसूली को समाप्त पुलिस को प्रतिवर्ष दी जाने वाली क्रमशः कर दिया गया है। 180,180 लीटर एवं 41,168 लीटर की

11.55 प्रति बी०एल0

23.10 प्रति बी0एल0

43 प्रति ए०एल०

सीमा तक रम

2. आयात परिमट फीस की दर

(1) विदेशी मदिरा/रम

5/- प्रति बोतल

(बियर)

1/- प्रति बोतल

3. इसके अतिरिक्त अनुज्ञापन एफ०एल०-9 एवं एफ०एल०-9ए अनुज्ञापनों पर निश्चित अनुज्ञापन शुल्क एवं ऐसेस्ड फीस की दरें निम्नवत् होंगी।

(1) . एफ0एल0-9 निश्चित

69/-<del>र</del>ू0

(सैन्य कैन्टीन)

प्रति लाइसेंस प्रतिवर्ष

वर्ष का कोई

भाग

ऐसेस्ड फी

(एक) भारत में बनी सभी प्रकार 30.00 की विदेशी शराब, स्प्रिट, वाईन मान्य शराब काडियल आदि

क्वार्ट बोतल

(दो) अल्कोहल को ५ प्रतिशत २.०० वी/वी तक शक्ति रखने वाली प्रति

रूपये 650

बियर, स्टाउड और अन्य किण्वित मिलीलीटर शराब

बोतल

(तीन) अल्कोहल की 5 प्रतिशत 3.00 वी/वी से अधिक शक्ति रखने प्रति वाली बियर स्टाउट और किण्वित मिलीलीटर

650

शराब

बोतल

(2) एफ0एल0-9ए निश्चत फीस (सैन्य कैन्टीन)

रू0 60 / -

प्रति लाईसेंस रियायती

सेसेस्ड फी

शुल्क रू0

18.00 प्रति मान्य क्वार्ट

बोतल रम

4. यह निर्देश भी दिये जाते हैं कि अनुज्ञापन पर दिनांक 30.4.2003 को बिक्री के पश्चात विदेशी मदिरा के अवशेष स्टाक पर बढ़ी हुई अभिकर की दर के अन्तर अर्थात 2 रू० प्रति ए०एल० की दर से अन्तर की धनराशि को राजकोष में जमा किये जाने के उपरान्त अवशिष्ट मदिरा की बिकी अनुमन्य होगी।

5. उक्त आदेश दिनांक 1.5.2003 से प्रभावी होगा।

बी०सी० चन्दोला आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल। संख्या:1155–93 / सात लाईसेंस–48 / एफ0एल0–2ए / 2003–04 / तद्दिनांक प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

- 1. कमाण्डर हेड क्वार्टर सब एरिया देहरादून कैंट को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उत्तरांचल स्थित सेना की समस्त इकाईयों को स्थिति से अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2. उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, मुख्यालय गढ़वाल एवं कुमायूं परिक्षेत्र।
- 3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
- 4. सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन देहरादून/नैनीताल।
- 5. समस्त आबकारी निरीक्षक, उत्तरांचल।
- 6. गार्ड फाइल।

बी०सी० चन्दोला आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल। संख्या:1277-89 / सात-लाई सेंस-12 / थोक बिकी / वि०म० / 2003-2004

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,

उत्तरांचल।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तरांचल।

देहरादून दिनांक मई 08, 2003

विषय:-

वर्ष 2003-2004 के लिए ड्यूटी पेड विदेशी मदिरा व बियर की थोक बिक्री लाईसेंसो (एफ0एल0-2) की व्यवस्था।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2003–2004 में पूर्ण अथवा आंशिक अवधि के लिए विदेशी मदिरा की थोक बिकी के अनुज्ञापन एफ0एल0-2 की लाईसेंस फीस निम्न प्रकार निर्धारित की गई है:-

क्रमांक	जनपद का नाम	एफ0एल0—2 की लाईसेंस फीस (रूपये में)	कमांक	जनपद का नाम	एफ0एल0–2 की लाईसेंस फीस
1	देहरादून	18,97,500 / -	8	उ0सिंह नगर	18,97,500 /-
2	पौड़ी गढ़वाल	18,97,500 / -	9	अल्मोड़ा	15,49,625 / -
3	टिहरी गढ़वाल	15,49,625 / -	10	पिथौरागढ़	9,17,125/-
4	उत्तरकाशी	9,17,125/-	11	बागेश्वर	9,17,125/-
5	चमोली	9,17,125/-	12	चम्पावत	9,17,125/-
6	रूद्रप्रयाग	5,69,250 / -	13	हरिद्वार	18,97,500 / -
7	नैनीताल	8,97,500 / -			

उपरोक्तानुसार देय धनराशि में से माह अप्रैल, 2003 में जमा कराई गयी अनुज्ञापन शुल्क की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि का 2/11 भाग अग्रिम जमा करना होगा व शेष लाइसेंस फीस मासिक किस्तों में निम्न प्रकार जमा की जायेगी:-

1/11 भाग 07 मई	1/11 भाग 07 अगस्त 2003	1/11 भाग ०७ नवम्बर	1/11 भाग 07 फरवरी
2003 तक	तक		2004 तक
1/11 भाग 07 जून	1/11 भाग 07 सितम्बर,	1/11 भाग 07 दिसम्बर	1/11 भाग 07 मार्च
2003 तक	2003 तक	2003 तक	2003 तक
1/11 भाग 07 जुलाई	1/11 भाग ०७ अक्टूबर	1/11 भाग ०७ जनवरी	
2003 तक	2003 तक	2004 तक	

यदि अनुज्ञापी नियमानुसार निर्धारित तिथि तक राजस्व का भुगतान करने में असफल रहता है, तो लाईसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापी पर पेनाल्टी लगायी जायेगी, जो अनुज्ञापी पर बकाया राजस्व पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय ब्याज की गणना करने के उपरान्त प्रतिदिन देय ब्याज की राशि के बराबर होगी।

यदि अनुज्ञापी के विरुद्ध सरकारी राजस्व की कोई देयता न हो तो अग्रिम फीस की राशि क्रमशः फरवरी व मार्च माह में देय लाईसेंस फीस के विरुद्ध समायोजित कर ली जायेगी।

- 1. शासन के निर्णयानुसार विदेशी मदिरा के थोक बिकी हेतु अनुज्ञापन एफ०एल0—2 पूर्ववत गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुंमाऊँ मण्डल विकास निगम को रवीकृत किये जा सकेंगे। व्यापार में प्रतिस्पर्धा एवं अबाध आपूर्ति बनाये रखने के लिए गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूं मण्डल विकास निगम के अतिरिक्त सैनिक कल्याण निगम गठित होने पर ऐसे निगम एवं भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत को—आपरेटिव सोसायटी को एफ०एल0—2 अनुज्ञापन आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमित के उपरान्त ही स्वीकृत किये जायेंगे। यदि भूतपूर्व सैनिकों की कोई पंजीकृत सोसायटी इस अनुज्ञापन के लिए आवेदन पत्र देती है तो जिला आबकारी अधिकारी प्रस्तुत आवेदन पत्रों की सोसायटी के कियाकलापों, पूर्ववृत्त, आर्थिक स्थिति, सामान्य ख्याति व को—आपरेटिव सोसाइटीज के लिए निर्धारित मानकों आदि की समीक्षात्मक जांचोपरान्त जिलाधिकारी के माध्यम से स्पष्ट संस्तुति आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेंगे। आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञापन के निर्गमन के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिया जायेगा। एफ०एल0—2 अनुज्ञापन के स्तर से लिये जाने वाले लाभांश को संतुलित किया जायेगा।
- 2. एफ0एल0-2 अनुज्ञापन (डयूटी पेड विदेशी मदिरा तथा बियर के थोक बिकी अनुज्ञापन) वित्तीय वर्ष में कभी भी दिये जा सकते हैं, जो उक्त वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो जायेंगे ।

- 3. प्रपत्र एफ0एल0—2 में लाईसेंस जिलेवार गढ़वाल मंडल के जनपदो हेतु गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं कुमायुं मंडल के जनपदो हेतु कुमायुं मंडल विकास निगम को दिये जायेगे, परन्तु पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, उत्तरांचल के द्वारा राज्य के किसी भी जनपद में उनके द्वारा आवेदन करने पर अनुज्ञापन स्वीकृत किये जा सकते हैं । प्रत्येक जनपद में एफ0एल0—2 अनुज्ञापन खोला जाना अनिवार्य है।
- 4. आवेदक के पास एफ0एल0-2 अनुज्ञापन हेतु प्रस्तावित परिसर होना चाहिए, जो अनुज्ञापन निर्गत किये जाने से पूर्व जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो ।
- 5. अनुज्ञापन निर्गत होने से पूर्व अनुज्ञापी को निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क तथा उसके साथ ही एफ०एल०–2 अनुज्ञापन हेतु रू० 50,000/—(पचास हजार रूपये प्रत्येक जनपद के लिए अलग—अलग) की प्रतिभूति अतिरिक्त रूप से जिलाधिकारी को प्रतिश्रुत करके जमा करनी होगी। यह प्रतिभूति शिडयूल्ड बैंक के सावधि जमा रसीद अथवा अल्प बचत प्रमाण—पत्र अथवा पोस्ट आफिस सेविंग बैंक खाते की पास बुक के रूप में जमा की जा सकती है। प्रतिभूति की राशि अनुज्ञापन की अवधि समाप्त होने के उपरान्त यदि अनुज्ञापी के विरूद्ध आबकारी राजस्व की कोई देयता न हो तो, अनुज्ञापी को वापस कर दी जायेगी।
- 6. जिला आबकारी अधिकारी एफ0एल0-2 अनुज्ञापन हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र की समुचित जांच के उपरान्त, सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे एवं जिलाधिकारी, आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमित प्राप्त करके आवेदक को उपरोक्तानुसार अनुज्ञापन स्वीकृत करेंगे।
- 7. प्रपत्र एफ0एल0-2 में लाईसेंस धारण करने वाला लाईसेंसधारी केवल उस जिले की सीमाओं के भीतर, जिसके लिए लाईसेंस दिया गया है, विदेशी मदिरा/बियर की बिक्री करेगा।

किन्तु संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय, उत्तरांचल की अनुमित से विदेशी मिदरा व बियर के बार अनुज्ञापियों व क्लब बार परिमटधारको को उत्तरांचल प्रदेश के किसी अन्य एफ0एल0–2 अनुज्ञापी से भी विदेशी मिदरा/बियर क्रय करने की छूट होगी।

- 8. एफ0एल0—2 अनुज्ञापी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अनुज्ञापित परिसर में बेची जाने वाली समस्त विदेशी मदिरा/बियर का नाम तथा मूल्य की एक सूची आबकारी आयुक्त के पास भेजेगें और बिना आबकारी आयुक्त की अनुमित के वित्तीय वर्ष में मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।
  - अनुज्ञापी के लिए अनिवार्य होगा कि वह ब्राण्ड लिस्ट तथा रेट लिस्ट अपने अनुज्ञापित परिसर पर इस प्रकार प्रदर्शित करें, कि प्रत्येक ग्राहक उसे देख सके।
  - 10. अनुज्ञापी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह जनपद के (एफ0एल0–5डी, एफ0एल0–6, 6ए, 7, 7सी) फुटकर अनुज्ञापियों / परिमटधारकों से मिदरा / बियर के एच्छिक ब्राण्डों / मात्रा विषयक तिथिवार प्राप्त मांग पत्रों को एक पंजी में अंकित करेगा और प्रथम आवक, प्रथम पावक के सिद्धान्त पर सम्बंधित अनुज्ञापी को निकासी देगा।
  - 11. किसी जनपद के एफ0एल0—2 में मदिरा/बियर के किसी ब्राण्ड की अनुपलब्धता होने पर केवल उस ब्राण्ड की आपूर्ति प्रदेश के अन्य एफ0एल0—2 से विशेष परिस्थितियों में संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय उत्तरांचल की लिखित पूर्वानुमित प्राप्त करके उस जनपद के एफ0एल0—5डी अनुज्ञापियों को की जा सकेगी।
  - 12. यदि किसी कारण से किसी जनपद में एफ0एल0—2 अनुज्ञापन के व्यवस्थापन में विलम्ब होता है, तो जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति पर मुख्यालय के संयुक्त आबकारी आयुक्त उस जनपद के एफ0एल0—5डी अनुज्ञापियों को प्रदेश के किसी अन्य जनपद के एफ0एल0—2 अनुज्ञापन से विदेशी मदिरा और बियर

लेने की अस्थायी अनुमित दे देंगे, जो उक्त एफ0एल0-2 अनुज्ञापन निर्गत होते ही स्वतः समाप्त हो जायेगी।

- 13. एफ०एल०—2 अनुज्ञापी आई०एम०एफ०एल० पर 52/— रूपये प्रति ए०एल० व 5 प्रतिशत वी/वी तक अल्कोहल वाली तथा 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत वी/वी तक अल्कोहल वाली बियर पर क्रमशः 11.55 रूपये तथा 23. 10 रूपये प्रति बल्क लीटर उत्पाद शुल्क जमा करने के उपरान्त एफ०एल०—1 या बी०डब्ल्यू०एफ०एल०—2/ बी०डब्ल्यू०एफ०एल०—2बी से विदेशी मदिरा व बियर प्राप्त कर सकेंगे। मदिरा एवं बियर के प्रत्येक लेबिल पर 'फार सेल इन उत्तरांचल ओनली' छपा होना आवश्यक रूप से अनिवार्य होगा। एफ०एल०—2 से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/अद्धा/पौवा पर आबकारी विभाग का नम्बरयुक्त होलोग्राम लगा होना अनिवार्य है।
- 14. जिला आबकारी अधिकारी अपने जनपद में स्थित विदेशी मदिरा की एफ0एल0—5डी दुकानों की निर्धारित वार्षिक गारंटीड डयूटी जमा होने के मासिक विवरण का अप—टू—डेट रिकार्ड एक रजिस्टर में रखेगे जिसका प्रोफार्मा निम्न प्रकार होगा :—

1) दुकान का नाम —— (2) अनुज्ञापी का नाम ——	दुकान की चौहद्दी	पूर्व – पश्चिम – उत्तर – दक्षिण –
	दुकान की चौहद्दी	≺ उत्तर –

माह का नाम		माह में देय वार्षिक गारन्टीड डयूटी / डयटी की	राशि जमा होने विवरण	का	विदेशी मदिरा एफ0एल0–2 से मदिरा लेने हेतु जारी आदेश की	विदेशी मदिरा की मात्रा		जिला आबकारी अधिकारी के
कमांक		/ड्यूटी की राशि	ट्रेजरी चालान सं0	दिनांक	संख्या व दिनांक	अभिकर वार संख्या	याग बोतलों में	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अप्रैल							
2	मई							
3	जून							

4	जुलाई	1			
5	अगस्त				
6	सितम्बर				20
7	अक्टूबर				
8	नवम्बर				
9	दिसम्बर				100
10	जनवरी				
11	फरवरी				
12	मार्च				

प्रत्येक माह में उस माह के लिए निर्धारित वार्षिक गारंटीड डयूटी की राशि से अधिक निकासी का विवरण एक रजिस्टर में निम्न प्रारूप में रखा जायेगा:—

	माह का नाम	जमा राशि का	बोतलो की स	अधिकारी के आदेश		जिला आबकारी अधिकारी के	
कमांक		विवरण ट्रेजरी चालान संo व दिनांक सहित	अभिकर वार संख्या	योग बोतलों में	सं0 व दिनांक	हस्ताक्षर	
1	2	3	4	5	6	7	
1	अप्रैल						
2	मई						
3	जून						
4	जुलाई						
5	अगस्त						
6	सितम्बर						
7	अक्टूबर						
8	नवम्बर						
9	दिसम्बर				40911-2511/507		
10	जनवरी						
11	फरवरी						
12	मार्च						

15. एफ0एल0—5डी अनुज्ञापी द्वारा माह के लिए निर्धारित वार्षिक गारंटी डयुटी की राशि जमा कर देने पर एफ0एल0—5डी अनुज्ञापी के प्रार्थना—पत्र पर जिला आबकारी अधिकारी इस राशि के विपरीत विदेशी मदिरा की निकासी के आदेश ब्राण्डवार जारी करेंगे। विदेशी मदिरा की निकासी हेतु मासिक गारंटी डयूटी के विपरीत विभिन्न ब्राण्ड्स की बोतलो की संख्या का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा:—

प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य	<u>अभिकर प्रतिबोतल</u> (1 बोतल = 2 अद्धा = 4 पौवा)
16 रू0 तक	45 / - रूपये
16.01 रू0 से 20 रू0 तक	50 / — रूपये
20.01 रू0 से 35 रू0 तक	60 / - रूपये
35.01 रू0 से 75 रू0 तक	75 / - रूपये
75.01 रू0 से 150 रू0 तक	90 / — रूपये
150 रू0 से अधिक	109 / - रूपये

बियर के लिए अलग से कोई मासिक गारण्टी डयूटी नहीं देनी होगी। बोतलो की संख्या निकालने हेतु गणना निम्न प्रकार की जायेगी:—

16. बार व क्लबवार अनुज्ञापियों द्वारा बेची जाने वाली विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल पर रू० 30 /— अधिभार देय होगा। जिला आबकारी अधिकारी यह धन अग्रिम जमा कराने के उपरान्त बार व क्लबवार अनुज्ञापियों को निकासी के आदेश जारी करेंगे जिसके उपरान्त ही एफ०एल०—2 / एफ०एल०—2बी अनुज्ञापी बार व क्लबवार अनुज्ञापियों को विदेशी मदिरा की निकासी देंगे। बार अनुज्ञापी एक वर्ष की अवधि के दौरान रू० 30 /— प्रति बोतल अधिभार की दर पर

20,000 (बीस हजार) बोतल तक की बिकी कर सकेंगे। इससे अधिक बोतलों की बिकी होने पर बोतलों की प्रत्येक 10 प्रतिशत वृद्धि के लिए रू० 5/- प्रति बोतल की बढ़ी दर से अतिरिक्त अधिभार भी देय होगा।

- 17. एफ०एल०—2 में मदिरा के गोदाम पर दो ताले लगाये जायेगे, जिनमें से एक की चाबी अनुज्ञापी के पास व दूसरे की चाबी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, जिनके क्षेत्र में एफ०एल०—2 स्थित होगा, के पास रहेगी। जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त आदेश के अनुसार निरीक्षक द्वारा एफ०एल०—2 से मदिरा की निकासी एफ०एल०—5डी व बार अनुज्ञापियों को दी जायेगी। एफ०एल०—5डी व बार अनुज्ञापी अपनी पसंद के अनुसार विदेशी मदिरा के ब्राण्ड्स ले सकेंगे। जिला आबकारी अधिकारी के निकासी आदेश में जमा राशि व ब्राण्डवार मदिरा की मात्रा का उल्लेख होगा। बियर की निकासी के लिए जिला आबकारी अधिकारी के आदेश की आवश्यकता नहीं होगी व बियर के स्टॉक पर केवल अनुज्ञापी का ताला रहेगा।
- 18. जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निकासी हेतु आदेश निम्न प्रारूप में जारी किया जायेगा :--

60 / — रू० प्रति बोतल 75 / — रू० प्रति बोतल 90 / — रू० प्रति बोतल 100 / — रू० प्रति बोतल

योग ---

5. न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की शेष राशि ...... (कालम 3– 4)

जिला आबकारी अधिकारी

यह आदेश जारी करने हेतु उपरोक्त प्रपत्र की किताब छपवाई जायेगी, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर नम्बर छपे होंगे। आदेश की मूल प्रति आवेदनकर्ता को दी जायेगी व कार्बन प्रति कार्यालय में अनुरक्षित की जायेगी।

आवेदनकर्ता द्वारा उक्त आदेश की मूल प्रति एफ०एल०—2 के इंचार्ज आबकारी निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने पर निरीक्षक द्वारा एफ०एल०—2 से मदिरा की निकासी दे दी जायेगी। निकासी आदेश पर, "निरस्त" की मोहर व अपने हस्ताक्षर (सितिथि) करने के उपरान्त अपने पदनाम की मोहर लगाकर आबकारी निरीक्षक इसे अपने कार्यालय में अनुरक्षित करेंगे।

एफ0एल0—5डी, बार अनुज्ञापी व क्लबबार परिमटधारक निम्न प्रारूप में निकासी की पास बुक अनुरक्षित करेंगे :--

1) दुकान का नाम —	दुकान की चौहद्दी	
(2) अनुज्ञापी का नाम —		पूर्व — पश्चिम —
		उत्तर – दक्षिण –

	माह का नाम	माह में देय वार्षिक	राशि जमा होने का विवरण		विदेशी मदिरा एफ0एल0–2 से	मदिरा व	की मात्रा	आबकारी निरीक्षक
क्रमांक		गारन्टीड डयूटी की राशि	ट्रेजरी चालान सं0	दिनांक	मदिरा लेने हेतु जारी आदेश की संख्या व दि0	अभिकर वार संख्या	योग बोतलों में	के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अप्रैल							

2	मई				
3	जून				1
4	जुलाई				
5	अगस्त				
6	सितम्बर				
7	अक्टूबर				
8	नवम्बर				
9	दिसम्बर				
10	जनवरी	7),			
11	फरवरी				
12	मार्च				

प्रत्येक माह में वार्षिक गारंटीड डयूटी की राशि से अधिक निकासी का विवरण निम्न प्रारूप में पास बुक में रखा जायेगा :—

	माह का नाम	जमा राशि का	बोतलो की	संख्या	जिला आबकारी — अधिकारी के आदेश	जिला आबकारी अधिकारी के
कमांक		विवरण ट्रेजरी चालान सं0 व दिनांक सहित	अभिकर वार	योग	सं0 व दिनांक	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7
1	अप्रैल					
2	मई					
3	जून					
4	जुलाई					
5	अगस्त					
6	सितम्बर					
7	अक्टूबर					
8	नवम्बर					
9	दिसम्बर					
10	जनवरी					
11	फरवरी					
12	मार्च					

19. एफ0एल0—5डी अनुज्ञापी द्वारा किसी माह के लिए निर्धारित मासिक गारन्टीड डयूटी से अधिक विदेशी मदिरा की निकासी पर आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रति बोतल अतिरिक्त अभिकर देना होगा, जिसके जमा होने के बाद व जिला आबकारी अधिकारी से निकासी आदेश मिल जाने के

उपरान्त ही, विदेशी मदिरा की निकासी इन अनुज्ञापियों को एफ०एल०—2 से प्राप्त हो सकेगी।

20. एफ0एल0—2 पर विदेशी मदिरा एवं बियर की खरीद हेतु एक्स आसवनी एवं एक्स ब्रीवरी मूल्यों का निर्धारण इस सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति व इस संस्तुति के आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा एवं इन्ही मूल्यों के आधार पर एफ0एल0—2 से मदिरा/बियर की निकासी फुटकर अनुज्ञापियों को दी जायेगी।

भवदीय

(बी०सी० चन्दोला) आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्या:1290—1307/सात—लाईसेंस/थोक बिक्री/वि०म०/2003—2004/तददिनांक, प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- सचिव, आबकारी, उत्तरांचल शासन, आबकारी विभाग, सचिवालय, देहरादून।
- 2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
- 3. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन, उत्तरांचल।
- समस्त आबकारी निरीक्षक, अपराध निरोधक क्षेत्र/प्रवर्तन दल, उत्तरांचल।

(बी०सी० चन्दोला) आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

### एफ0एल0 2

## (पैरा 639)

लाईसेंस प्राप्त विकेताओं को ड्यूटी पेड विदेशी मदिरा/बियर (विकृत स्प्रिट से भिन्न) की थोक बिक्री के लिए लाईसेंस वर्ष 2006—2007

रजिस्टर संख्या
लाईसेंस धारक का नाम : के स्थान पर जिला
में विकृत स्प्रिट से भिन्न उत्पाद शुल्क जमा करने के उपरान्त विदेशी मदिरा एवं बियर
की थोंक बिकी के लिए दिनांक से दिनांक 31-3-2004 तक के लिए
लाईसेंस, जिसके लिए लाईसेंस फीस रूपये, जिसका 2/11 भाग अग्रिम जमा
कर दिया गया है व जिसका ट्रेजरी चालान संख्या दिनांक है व जिसकी शेष
लाईसेंस फीस की मासिक किस्तें निम्न प्रकार जमा की जायेगी:-

1/11 भाग 07 मई	1/11 भाग ०७ अगस्त २००३	1/11 भाग ०७ नवम्बर	1/11 भाग 07 फरवरी
2003 तक	तक	2003 तक	2004 तक
1/11 भाग 07 जून	1/11 भाग ०७ सितम्बर,	1/11 भाग 07 दिसम्बर	1/11 भाग 07 मार्च
2003 तक	2003 तक	2003 तक	2003 तक
1/11 भाग 07 जुलाई	1/11 भाग 07 अक्टूबर	1/11 भाग 07 जनवरी	
2003 तक	2003 तक	2004 तक	

यदि अनुज्ञापी नियमानुसार निर्धारित तिथि तक राजस्व का भुगतान करने में असफल रहता है, तो लाईसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापी पर पेनाल्टी लगायी जायेगी, जो अनुज्ञापी पर बकाया राजस्व पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय ब्याज की गणना करने के उपरान्त प्रतिदिन देय ब्याज की राशि के बराबर होगी।

यदि अनुज्ञापी के विरुद्ध सरकारी राजस्व की कोई देयता न हो तो अग्रिम फीस की राशि क्रमशः फरवरी व मार्च में देय लाईसेंस फीस के विरुद्ध समायोजित कर ली जायेगी। प्रतिभूति के रूप में रूपये 50,000/— (पचास हजार) का, जिसका विवरण लाईसेंस के अन्तिम पृष्ठ में दिया गया है, भुगतान कर दिया गया है, निम्नलिखित शर्तो, के जिनमें से किसी व्यतिक्रमण या संयुक्त प्रान्त अधिनियम 1910 या स्वापक औषधीय और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर उपरोक्त अनुज्ञापन तथा प्रतिभूति समपहरणीय होंगे और अनुज्ञापी नियमों के अन्तर्गत दण्ड का भी प्रतिभागी होगा।

## शर्ते

- 20. बिकी केवल लाईसेंस प्राप्त परिसर में की जायेगी, उसी परिसर में देशी शराब नहीं रखी जायेगी व उसका भण्डारण नहीं किया जायेगा। यदि आबकारी आयुक्त ने किसी विदेशी शराब की बिकी को उसके अस्वस्थकर होने के कारण प्रतिबंधित किया हो, तो इस लाईसेंस के अधीन उक्त शराब नहीं रखी जायेगी तथा उसकी बिकी नहीं की जायेगी।
- 21. लाईसेंसधारी अपनी दूकान से सम्बन्धित विदेशी मदिरा/बियर का अपना समस्त स्टॉक ऐसे परिसर में रखेगा, जिसके लिए वह लाईसेंसधारण करता हो।
- 22. भारत में बनी व्हिस्की, रम, जिन या ब्राण्डी एक बार में अड़तालीस बोतल (750 एम.एल.) (या अद्धे, पौवो में इसके समकक्ष मात्रा) और बियर की दशा में एक बार में 96/192 बोतल 650/325 मिली लीटर या 500 एम0एल0 के 120 कैन से कम की बिक्री नहीं की जायेगी।
- 23. 750 मिली लीटर, 375 मिली लीटर, 180 मिली लीटर तथा 90 मिली लीटर की धारिता वाली केवल कांच की बोतलों में भारत में बनी व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन या रम की बोतलों के अतिरिक्त अन्य धारिता की बोतलों में बिक्री की अनुमित नहीं होगी। बियर की बिक्री 650 एम0एल0, 330 एम0एल0, 325 एम0एल0 की कांच की बोतलों व 500 एम0एल0 के धातु के केन में की जा सकेगी।
- 24. बोतलों में भरे हुये तरल द्रव्य की मात्रा का उल्लेख लेबिल पर मोटे अक्षरो में स्पष्ट रूप में अंकित किया जायेगा, चाहे बोतल भराई भारत वर्ष में हुई हो या विदेश में की गयी हो।
- 25. एफ0एल0—2 से विक्रय की जाने वाली ब्राण्डी, व्हिस्की, जिन तथा रम की तीव्रता 42.8 प्रतिशत वी0/वी0 से कम नहीं होगी, जब तक कि आबकारी आयुक्त के विशेष आदेशों के अधीन मदिरा के अल्कोहल प्रतिशत में कमी करने की अनुमति न ले ली गयी हो। 37 प्रतिशत वी/वी तीव्रता वाली जिन की बिक्री भी एफ0एल0—2 से की जा सकेगी।

- 26. बिक्री प्रातः 10 बजे से पूर्व तथा सायं 6 बजे के बाद नहीं की जायेगी।
- 27. अनुज्ञापन के अधीन बोतलों की भराई निशिद्ध है, जबतक कि इस अनुज्ञापन के अतिरिक्त बोतल भराई का दूसरा अनुज्ञापन आबकारी आयुक्त द्वारा न प्रदान कर दिया गया हो।
- 28. शराब में कोई औषधि, द्रव्य, घातक पदार्थ नहीं मिलाया जायेगा।
- 29. इस लाईसेंस के अधीन किया जाने वाला व्यापार पट्टे पर नहीं उठाया जायेगा या उसका अन्तरण नहीं किया जायेगा।
- 30. दुकान के प्रवेश द्वार पर एक साईन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर अनुज्ञापन का नाम और विदेशी मदिरा के लाईसेंस प्राप्त थोक अनुज्ञापी का नाम एवं वर्ष अंकित किया जायेगा।
- 31. लाईसेंसधारी निर्धारित प्रारूप के रजिस्टर में, जो भुगतान करने पर कलेक्टर के कार्यालय से प्राप्त होगा, नियमित तथा सही लेखा रखेगा और उसको सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण हेतु मांगने पर प्रस्तुत करेगा।
- 32. थोक परिसर से विदेशी शराब एवं बियर का परिवहन जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत पासबुक से आच्छादित होगा। पासबुक पर केवल अनुज्ञापी अथवा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमादित विकेता ही हस्ताक्षर करेगा, जिसके हस्ताक्षर के नमूने जिला आबकारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगे।
- 33. लाईसेंस धारी अपने लाईसेंस प्राप्त परिसर में किसी व्यक्ति को बिकी करने की अनुमित तब तक नहीं देगा जबतक किसी ऐसे व्यक्ति का नाम पहले ही कलेक्टर से अनुमोदित न हो और लाईसेंस में उसके द्वारा पृष्ठाकिंत न किया गया हो।
- 34. लाईसेंसधारी इस लाईसेंस को ऐसे अधिकारियों द्वारा मांग किये जाने पर, जो ऐसा करने के लिए नियमों के अधीन प्राधिकृत हो, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेंगा।

- 35. लाईसेंसधारी विदेशी शराब एवं बियर की आपूर्ति प्रदेश में स्थित विदेशी शराब के बिन्धत गोदामों अथवा आसविनयों से आई०एम०एफ०एल० पर 52/— रूपये प्रति एल्कोहल लीटर व 5 प्रतिशत वी/वी तक अल्कोहल वाली तथा 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक व 8 प्रतिशत वी/वी तक अल्कोहल वाली बियर पर क्रमशः 11.55 रूपये तथा 23.10 रूपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क जमा करने के उपरान्त प्राप्त करेंगा। मिदरा एवं बियर की प्रत्येक बोतल के लेबिल पर "फार सेल इन उत्तरांचल" छपा होगा। एफ०एल०—2 से बेची जाने वाली विदेशी मिदरा की प्रत्येक बोतल/अद्धा/पौवा तथा बियर की प्रत्येक बोतल/केन पर आबकारी विभाग का नम्बरयुक्त होलोग्राम लगा होना अनिवार्य है।
  - 36. बार अनुज्ञापियों तथा क्लब परिमट धारको को भारत में बनी ब्राण्डी, व्हिस्की, जिन तथा रम की 750 एम0एल0 की मानक बोतलों के सिवाय अन्य धारिता वाली बोतलों की बिक्री नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त एफ0एल0—2 से 20,000 बोतल तक स्प्रिट्स (ब्राण्डी, व्हिस्की, जिन, रम आदि) की निकासी पर प्रति मानक बोतल पर 30/— रूपये व उसके उपरान्त प्रत्येक 10 प्रतिशत बढ़ी निकासी पर 5/— रूपये प्रति बोतल बढ़ी दर से अधिभार जमा कराने व जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त आदेश के उपरान्त ही बार अनुज्ञापियों व क्लब परिमटधारकों को मिदरा/बियर की निकासी एफ0एल0—2 से दी जायेगी।
- 37. एफ०एल०–2 लाईसेंसधारी, फुटकर विकेताओं को उनकी मांग के अनुसार विदेशी मिदरा एवं बियर की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होंगे। किसी जनपद के एफ०एल०–2 में मिदरा/बियर के किसी ब्राण्ड की अनुपलब्धता होने पर केवल उस ब्राण्ड की आपूर्ति प्रदेश के अन्य एफ०एल०–2 या आसवनी से विशेष पिरिस्थितियों में संयुक्त आबकारी आयुक्त मुख्यालय, उत्तरांचल की लिखित पूर्वानुमित प्राप्त करके उस जनपद के एफ०एल०–5डी अनुज्ञापियों को की जा सकेगी।

38. प्रपत्र एफ0एल0-2 में लाईसेंस धारण करने वाला कोई लाईसेंसधारी केवल उस जिले की सीमाओं के भीतर जिसके लिए लाईसेंस दिया गया है, विदेशी मदिरा एवं बियर की बिक्री करेगा।

किन्तु संयुक्त आबकारी आयुक्त मुख्यालय उत्तरांचल की अनुमित से बार अनुज्ञापियों एवं क्लब परिमटधारको को उत्तरांचल के किसी भी एफ0एल0–2 अनुज्ञापी से विदेशी मदिरा एवं बियर क्रय करने की छूट होगी।

- 20. ड्राफ्ट बियर केवल एफ0एल0-6 समिश्र एफ0एल0-6क तथा एफ0एल0-7, अनुज्ञापियों को ही बेची जायेगी।
- 21. लाईसेंसधारी अपने अनुज्ञापित पिरसर से बेची जाने वाली समस्त विदेशी मिंदरा एवं बियर का नाम तथा उसके मूल्य की एक सूची आबकारी आयुक्त के पास भेजेंगे और बिना आबकारी आयुक्त की अनुमित के वित्तीय वर्ष में मूल्यों में कोई पिरवर्तन नहीं करेंगे। अनुज्ञापी गत वर्ष आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित पांच प्रति से अधिक लाभांश नहीं लेगा ।
  - 22. अनुज्ञापी के लिए अनिवार्य होगा कि वह ब्राण्ड लिस्ट तथा रेट लिस्ट अपने अनुज्ञापित परिसर पर इस प्रकार प्रदर्शित करें, कि प्रत्येक ग्राहक उसे देख सके।
  - 23. एफ०एल०—2 में मदिरा के गोदाम पर दो ताले लगाये जायेगे, जिनमें से एक की चाबी अनुज्ञापी के पास व दूसरे की चाबी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, जिनके क्षेत्र में एफ०एल०—2 स्थित होगा, के पास रहेगी। जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त आदेश के अनुसार निरीक्षक द्वारा एफ०एल०—2 से मदिरा की निकासी एफ०एल०—5डी व बार अनुज्ञापियों एवं क्लब परिमटधारको को दी जायेगी। जिला आबकारी अधिकारी के निकासी आदेश में जमा राशि व ब्राण्डवार मदिरा की मात्रा का उल्लेख होगा। बियर की निकासी के लिए जिला आबकारी अधिकारी के आदेश की आवश्यकता नहीं होगी व बियर के स्टॉक पर केवल अनुज्ञापी का ताला रहेगा।

जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त निकासी आदेशों का मासिक विवरण एफ0एल0–2 पर निम्न प्रारूप में रखा जायेगा :——

सं0	नाम	का फुटकर जिला आबकारी म अनुज्ञापी अधिकारी का		मदिरा व	आबकारी निरीक्षक के	
		का नाम । आ	आदेश सं0 व दिनांक	अभिकर वार	योग बोतलों में	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

इस रजिस्टर का मासिक सारांश अगले माह की 3 तारीख तक एफ0एल0—2 अनुज्ञापी द्वारा आबकारी निरीक्षक से सत्यापित कराकर आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल / वित्त अधिकारी, मुख्यालय व जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुज्ञापी द्वारा निम्न विवरण भी आबकारी निरीक्षक से सत्यापित कराकर आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल व जिला आबकारी अधिकारी को उपरोक्त निर्धारित तिथि के अनुसार प्रस्तुत करना होगा :—

विदेषी मदिरा (बोतलो में)

बियर (बोतलों में)

- 6. माह का प्रारम्भिक स्टॉक
- 7. माह में प्राप्ति
- 8. योग
- 9. माह में बिक्री
- 10. अवशेष स्टॉक

24. एफ0एल0—5डी व बार अनुज्ञापी तथा क्लब परिमटधारक निम्न प्रारूप में निकासी की पास बुक अनुरक्षित करेंगे:—

माह का नाम ( <u>६)</u> ( <u>६)</u>	माह में देय वार्षिक गारन्टीड	राशि जमा होने का विवरण	जिला आबकारी अधिकारी द्वारा एफ0एल0–2 से मदिरा लेने हेतु	मदिरा की मात्र	T	आबकारी निरीक्षक के हस्ताक्षर
8	डयूटी /		नापरा लग हतु	अभिकर वार	योग	ettiiqit

		ड्यूटी की राशि	ट्रेजरी चालान सं0	दिनांक	जारी आदेश की संख्या व दिनांक	संख्या	बोतलों में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अप्रैल							
2	मई							
3	जून							
4	जुलाई					8		
5	अगस्त							
6	सितम्बर							
7	अक्टूबर							
8	नवम्बर							- 1040
9	दिसम्बर							
10	जनवरी							
11	फरवरी							
12	मार्च							

निकासी के लिए जारी जिला आबकारी अधिकारी के आदेश एफ0एल0—2 के इंचार्ज आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेगे। निकासी के उपरान्त इस आदेश पर "निरस्त" की मोहर लगाकर आबकारी निरीक्षक अपने हस्ताक्षर करेंगे व पदनाम की मोहर लगायेंगे।

प्रत्येक माह में गारंटीड डयूटी की राशि से अधिक (आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित ड्यूटी की बढ़ी दर पर अभिकर की अतिरिक्त राशि जमा कराने पर) निकासी का विवरण निम्न प्रारूप में पास बुक में रखा जायेगा :—

	माह का नाम	जमा राशि का विवरण ट्रेजरी चालान संo व	बोतलों की संख्या		जिला आबकारी अधिकारी के आदेश संo व दिनांक	आबकारी निरीक्षक के हस्ताक्षर
कमांक		दिनांक सहित	अभिकर वार	योग		
1	2	3	4	5	6	7
1	अप्रैल					
2	मई					

3	जून					
4	जुलाई					
5	अगस्त					
6	सितम्बर					
7	अक्टूबर					
8	नवम्बर	.0			H	
9	दिसम्बर					
10	जनवरी					
11	फरवरी		NJ. NIIIS	10. Luci	I FE SERV	
12	मार्च				-17 15 10	E principle and

पास बुक के पृष्ठों पर नम्बर डाले जायेंगे, जिनका सत्यापन आबकारी निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। एफ0एल0—2 से निकासी तभी दी जायेगी जब अनुज्ञापी जिला आबकारी अधिकारी का निकासी आदेश एवं उपरोक्तानुसार अपनी निकासी की पासबुक एफ0एल0—2 के इंचार्ज आबकारी निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आबकारी निरीक्षक का दायित्व होगा कि वह निकासी की पासबुक में प्रविष्टियां करने व उस पर अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही मदिरा की निकासी दें। निकासी के लिए ट्रान्सपोर्ट पास पूर्व की भांति जारी किये जायेंगे व एफ0एल0—2 अनुज्ञापन से सम्बन्धित अन्य अभिलेख आदि भी पूर्व की भांति अनुरक्षित किये जायेंगे।

25. अनुज्ञापी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह जनपद के (एफ0एल0-5डी, एफ0एल0-6, 6ए, 7, 7सी) फुटकर अनुज्ञापियों / परिमटधारकों से मदिरा / बियर के एच्छिक ब्राण्डों / मात्रा विषयक तिथिवार प्राप्त मांग पत्रों को एक पंजी में अंकित करेगा और प्रथम आवक, प्रथम पावक के सिद्धान्त पर सम्बंधित फुटकर अनुज्ञापी को निकासी देगा।

26 एफ0एल0—2 पर विदेशी मदिरा एवं बियर की खरीद हेतु एक्स आसवनी एवं एक्स ब्रीवरी मूल्यों का निर्धारण इस सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति व इस संस्तुति के आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा एवं इन्ही मूल्यों के आधार पर एफ0एल0—2 से मदिरा/बियर की निकासी फटकर अनुज्ञापियों को दी जायेगी।

# लाईसेंसधारी द्वारा भुगतान की गयी प्रतिभूति का विवरण

लाईसेंस प्रतिभूति के रूप में रूपये 50,000/— (पचास हजार) मात्र जिसकी प्रविष्टियां निम्न प्रकार हैं, इस कार्यालय में जमा कर दी है:—

क्रमांक	प्रतिभूति का प्रकार	प्रविष्टियां	मूल्य
1			50,000/-
2			
3			
4			

				जिलाधिकारी
दुव द्वारा अनुग	कान का परिसर नोदित किया गया	रवं विकेताओं का है।	ब्यौरा जो सम्बन्धि	जनपदत त जिले के कलेक्टर
	क-1- परिसर व	जी प्रविष्टियां भवन <b>ज्</b>	तं. व स्थिति :	
	2– चौहद्दी ख–विकेता	पूरब :पश्चम पश्चिम :		
	कमांक	नाम	पिता का नाम	पता
	1.			
	2.			
	 दिनांक :			जिलाधिकारी

प्रेषक,

विपिन चन्द्र चन्दोला सचिव उत्तरांचल शासन

सेवा में,

आबकारी आयुक्त उत्तरांचल, देहरादून।

देहरादूनः दिनांकः 02 अगस्त, 2003

विषयः उत्तरांचल राज्य में स्थित विभिन्न सैन्य इकाईयों को वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए आयोजित समारोह में उपभोग की जाने वाली विदेशी मदिरा के अभिकर में छूट का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए शासन के पत्र संख्या:599/आब0/51/2003 एफ0एल0-9/9ए दिनांक 22.10.2002 के कम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार उत्तरांचल राज्य में स्थित विभिन्न सैन्य इकाईयों द्वारा मनाये जाने वाले विशिष्ट सैन्य समारोहों के अवसरों पर उपभोग की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मिदरा/बियर पर देय आबकारी अभिकर में दी जाने वाली छूट की सीमा वर्ष 2003-04 में निम्नवत् प्रदान की जायेगी:-

1. 50 वर्ष में एक बार मनाये जाने वाले समारोह मांग का 60 प्रतिशत की छूट जैसे स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर

2. 25 वर्ष में एक बार मनाये जाने वाले समारोह मांग का 30 प्रतिशत की छूट जैसे रजत जयन्ती के अवसर पर

3. 05 वर्ष में एक बार मनाये जाने वाले समारोह मांग का 20 प्रतिशत की छूट जैसे पंचवर्षीय री—यूनियन के अवसर पर

4. 02 वर्ष में एक बार मनाये जाने वाले समारोह मांग का 15 प्रतिशत की छूट जैसे द्वितीवर्षीय री—यूनियन के अवसर पर

4. वार्षिक सैन्य समारोह कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

वर्ष 2003-04 के लिए आबकारी अभिकर में छूट की अधिकतम सीमा 10 लाख रूपये निर्धारित की गयी है।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी०सी० चंदोला) सचिव

संख्याः623 (1)/आब/51/2003 प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः— 1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

- वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
   समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
- 4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार) उप सचिव

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)
देहरादून, बृहस्पतिवार, 01 जनवरी, 2004 ई0
पौष 11, 1925 शक सम्वत्
उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या:479/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून 01 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराचंल विधानसभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 28.12.2003 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 20 सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003

> (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 20, सन् 2003) (भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में अधिनियमित)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अधिनियम, 2002 का उत्तरांचल में प्रवर्तन हेतु अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

# अधिनियम

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- 1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहलायेगा।
  - (2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।
  - (3) यह 24 जून, 2003 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अधिनियम संख्याः 16, सन् 2002 की धारा 60(2) के अंश का विलोपन।

2. मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (2) के निम्न अंशो का विलोपन-

''या किसी चरस का आयात, निर्यात या परिवहन करता है, या उसको अपने कब्जे में रखता है।''

आज्ञा से

(बी0 लाल) सचिव।

संख्या:780 / XXIII / 04 / 03 / 2004टी0सी0

प्रेषक, बी०सी० चन्दोला सचिव, उत्तरांचल शासन।

सेवा में, आबकारी आयुक्त उत्तरांचल, देहरादून।

आबकारी अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः मई 31, 2004

विषय:वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए आबकारी नीति का निर्धारण

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तरांचल शासन आबकारी विभाग की अधिसूचना संख्या:312/18/आब/2003-04 दिनांक 22 अप्रैल, 2003 के द्वारा दिनांक 1.5.2003 से जो आबकारी नीति घोषित की गयी थी, वह दिनांक 31.3.2004 तक के लिए प्रभावी थी तथा दिनांक 1.4.2004 से उत्तरांचल राज्य में नई आबकारी नीति लागू की जानी थी परन्तु सामान्य लोक सभा चुनावों की घोषणा के कारण प्रदेश में चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 1.4.2004 से 31.5.2004 तक की अवधि के लिए भी वित्तीय वर्ष 2003-04 की आबकारी नीति को ही प्रभावी रखा गया। वर्ष 2004-05 के लिए घोषित आबकारी नीति चूंकि 11.6. 2004 से प्रभावी होगी इसलिए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 1.6.2004 से 10.6.2004 तक की अवधि में भी गत वर्ष 2003-04 की ही नीति प्रभावी रहेगी।

1. लाईसेन्स फीस का निर्धारण—वित्तीय वर्ष 2004—05 हेतु लाईसेन्स फीस का निर्धारण विगत वित्तीय वर्ष 2003—04 में देशी मदिरा की बल्क लीटर बिक्री एवं विदेशी मदिरा की बोतलों की संख्या में बिक्री के आधार पर वित्तीय वर्ष 2003-04 हेतु निर्धारित स्लैबवार लाईसेन्स फीस में 15 प्रतिशत वृद्धि करते हुए निर्धारित की जायेगी। इसमें से दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से 10 जून 2004 तक के लिए प्राप्त लाईसेन्स फीस घटाकर वित्तीय वर्ष की शेष अवधि अर्थात दिनांक 11.6.2004 से 31.3.2005 तक की लाईसेन्स फीस निर्धारित की जायेगी।

- 2. अधिभार का निर्धारण— देशी / विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2003—04 में वास्तविक निकासी पर देय अभिधार में 15 प्रतिशत वृद्धि जोड़कर वित्तीय वर्ष 2004—04 हेतु अधिभार निर्धारित किया जायेगा। इसमें से दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से 10 जून, 2004 तक प्राप्त अधिभार घटाकर वित्तीय वर्ष 2004—05 की शेष अवधि के लिए अधिभार माना जायेगा।
  - 3. राजस्व निर्धारण—उपरोक्त बिन्दु 1 के अनुसार निर्धारित लाईसेन्स फीस एवं बिन्दु 2 के अनुसार निर्धारित अधिभार के योग में यदि अन्य कोई कर देय हो जोड़कर दिनांक 11.6.2004 से 31.3.2005 तक दुकान का 'राजस्व' माना जायेगा।
  - 4. देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन—उक्त प्रकार बिन्दु—3 की व्यवस्थानुसार दुकानवार 'राजस्व' निर्धारित करके गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमायूं मण्डल विकास निगम, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं तथा निजी आवेदकों से निर्धारित राजस्व पर देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त आवेदन पत्रों में जहां एक दुकान के लिए एक से अधिक आवेदक हैं उस दशा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा।

उपरोक्त दोनों निगमों, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लिं0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों तथा सहकारी संस्थाओं को छोड़कर उपरोक्त प्रक्रिया में निजी अनुज्ञापी को जनपद में देशी तथा विदेशी मदिरा की एक दुकान से अधिक आबंटित नहीं की जायेगी। अर्थात् देशी मदिरा की अथवा विदेशी मदिरा की केवल एक ही दुकान आबंटित की जा सकेगी।

उपरोक्त प्रकिया में यदि कोई देशी व विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाय तो उनके व्यवस्थापन के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

- 5. पात्रता—दुकानों के आबंटन की पात्रता हेतु गत वित्तीय वर्ष की भांति उत्तरांचल के स्थाई निवासी के साथ ही वित्तीय वर्ष 2003—04 की पात्रता एवं आबंटन की अन्य शर्ते एवं प्रक्रिया भी लागू रहेगी।
- 6. देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी में अधिभार की गणना—निकासी हेतु अधिभार का निर्धारण दिनांक 19—7—2002 से प्रभावी है। विदेशी मदिरा की निकासी हेतु अधिभार की दरों में वृद्धि आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्धारित की जायेगी।
- 7. मिदरा का विक्रय मूल्य—मिदरा के विक्रय मूल्य के परिपेक्ष्य में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाया जायेगा। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने पर अनुज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है।
- 8. विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ०एल०—2)— विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ०एल०—2) गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल विकास निगमों द्वारा आवेदन करने पर उन्हें पूर्ववत् दिये जायेंगे। पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि०, उत्तरांचल को भी उनके द्वारा आवेदन करने पर विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन दिये जाने पर विचार किया जायेगा। एफ०एल०—2 के स्तर के लिये जाने वाले लाभांश को इस प्रकार तार्किक (Rationalise) किया जायेगा कि इसके कारण उत्तरांचल राज्य में मदिरा अन्य पड़ोसी राज्यों के सापेक्ष मंहगी न हो तथा अवैध तस्करी की सम्भावना न रहे। इसको एक्स आसवनी मूल्यों के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा शासन की पूर्वानुमित के उपरान्त निर्धारित किया जायेगा।
- 9. बार एवं क्लब बार लाईसेन्स—बार / क्लब बार लाईसेन्स देने के संबंध में तीन, चार व पांच सितारा होटलों को बार लाईसेन्स दिये जाने की वर्तमान व्यवस्था

यथावत् रहेगी। अन्य होटलों व रेखाओं को बार लाईसेन्स दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तरांचल शासन के आदेश संख्या 110–122/सात लाईसेन्स/बार–नीति/2001–02 दिनांक 6–4–2001 द्वारा जारी की गयी नीति का अनुसरण किया जायेगा।

परन्तु यह प्रतिबन्ध होगा कि प्रश्नगत आवेदक होटल / रेस्त्रा का विगत वर्ष में पके भोजन का विकय धन रू० 3.00 लाख (तीन लाख रूपये) से कम न रहा हो।

गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल विकास निगमों के पर्यटक आवास गृहों हेतु वित्तीय वर्ष 2002-03 में निर्धारित नीति यथावत् रहेगी।

चार व पांच सितारा होटल एवं क्लब बारों की लाइसेंस फीस पूर्ववत रहेगी। अन्य बार की लाईसेन्स फीस 2.00 लाख रूपये प्रति वर्ष रखी जायेगी परन्तु बार में बीस हजार बोतल तक वार्षिक बिकी होने वाली मदिरा पर परिमट फीस रू. 30.00 प्रति बोतल के स्थान पर रू0 40.00 प्रति बोतल रहेगी। बीस हजार बोतल से अधिक की बिकी पर पूर्व वर्ष की भांति प्रत्येक 10 प्रतिशत की वृद्धि पर रू. 5.00 की दर से अतिरिक्त परिमट फीस लागू रहेगी।

जिन स्थलों पर सीजनल पर्यटकों के आने के कारण कुछ महीनों में ही अधिक व्यवसाय होता है, वहां छः माह की अविध के लिए भी लाईसेंस दिये जा सकते हैं।

10. बियर बार लाईसेन्स—पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से उन होटल एवं रेस्त्राओं को, जिनकी विगत तीन वर्षों में पके हुए भोजन की बिकी 3.00 लाख रूपये (तीन लाख रूपये) वार्षिक या उससे अधिक रही हो, उन्हें रूपये 50,000. 00 (रूपये पचास हजार) प्रति वर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर बियर बार लाइसेन्स स्वीकृत किये जायेंगे। इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत वह केवल बियर की ही बिकी करने के पात्र होंगे।

जिन स्थलों पर सीजनल पर्यटकों के आने के कारण कुछ महीनों में ही अधिक व्यवसाय होता है, वहां छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेंगे।

- 11. आसवनियों बटालिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना-
- (क) आसवनियों की स्थापना हेतु अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (ख) बाटलिंग प्लान्ट लगाने के लिए पूर्व वर्ष की नीति की भांति ही इस व्यवसाय में पूर्व से ही प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त निर्माताओं से प्रस्ताव पास होने पर विचार किया जायेगा।
- (ग) ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वायनरी की स्थापना हेतु पूर्व वर्ष की भांति लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा।
- 12. देशी मदिरा के वर्तमान आबंटन क्षेत्र को विगत वर्ष की ही भांति रखा जायेगा।
- 13. भांग के अनुज्ञापन में वर्ष 2002-03 की नीति को यथावत् रखा जायेगा।
- 14. बार एवं क्लब बारों को छोड़कर अन्य लाईसेन्स फीस में भी 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। तीन चार व पांच सितारा होटल एवं बार/क्लब बारों की फीस उपरोक्त प्रस्तर—9 की व्यवस्थानुसार रहेगी।
- 15. राज्य के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विदेशी मदिरा पर देय अभिकर को 52.00 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर के स्थान पर 55.00 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर किया जायेगा।
- 16. देशी मदिरा में प्रयुक्त होने वाली नई बोतलों की व्यवस्था यथावत् रहेगी।
- 17. अन्य व्यवस्थायें विगत वित्तीय वर्ष 2003-04 की ही भांति रहेगी।
- 18. वित्तीय वर्ष 2004-05 हेतु आबकारी विभाग का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 300.00 करोड़ रूपये (तीन सौ करोड़ रूपये मात्र) होगा।
- 19. उपरोक्त के कियान्वयन हेतु शासन तथा आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार पृथक से संशोधित नियमावली बनाई जायेगी।

# कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(बी०सी० चन्दोला) सचिव

संख्याः /XXIII/04/03/2004 टीसी तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 2. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
- 3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
- 4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 5. आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
- 6. निदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
- 7. गोपन अनुभाग, उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार) उप सचिव सरकारी गजट, उत्तरांचल उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड (क) सामान्य परिनियम नियम देहरादून, वृहस्पतिवार, 10 जून, 2004 ई0 ज्येष्ठ 06, 1924 शक सम्वत्

# Uttaranchal Shasan Office of the Excise Commissioner

No. 121/70Licence-S/2004-2005 Dated Dehradun, June 10, 2004

#### NOTIFICATION

सा0प0नि0-05

In exercise of the powers under section 41 of the U.P. Excise Act 1910 (U.P. Act No. IV of 1910), the Excise Commissioner, Uttaranchal with the previous sanction of the State Government makes the following rules with a view to amend the Uttaranchal Excise (Settlement of Licence for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) Rules, 2001.

The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) (Eighth Amendment) Rules, 2004.

## (1). Short Title and Commencement

(1) These Rules may be called The Uttaranchal Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) (Eighth Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force from 11st June 2004.

## (2) Amendment of Rules:

In the Uttaranchal Excise (Settlement of Licences For Retail Sale of Foreign Liquor & Beer) Rules, 2001, as amended upto date, hereinafter

referred to as the said Rules, for Rule 2(h)(j), 6(a) & 8 set out in column No. I below, the rule set out in column No. II shall be substituted:-

#### Column I

2(h) "Licence fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the licence for exclusive privilege for selling of Foreign Liquor & Beer in a retail shop under section 24-A of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole of the Excise year or part thereof.

Provided that for the period starting from 01 May 2003 and ending on 31.3.2004, the amount of licence fee shall be equal to:

Total amount of licence fee fixed for the year 2003-2004 of that particular shop MINUS Amount of licence fee recovered during April 2003.

2(j) "Annual Minimum Guranteed Quantity" for a shop shall be 12 times the "Monthly Minimum Guaranteed Quantity" fixed for it.

Provided that for the period starting from 01 May 2003 and ending on 31.3.2004 the Annual Minimum Guaranteed Quantity for a shop shall be equal to:-

Annual Minimum Guaranteed Quantity Fixed for the year 2003-2004 of that particular shop MINUS Part of Annual Minimum Guaranteed Quantity lifted during April 2003.

The total of above quantity shall be divided into 11 equal parts and each of this part shall be called Monthly Minimum Guaranteed Quantity for each month during the period 01.05.2003 to 31.3.2004

#### 6. Licence fee and security deposit:

The licence in form F.L.-5D shall be granted for the period of an Excise Year or part thereof on payment of:

a.At the time of settlement of shop, licence fee in advance on following rates:

Category "Annual Minimum guranteed Licence fee per Quantity" range in terms of shop (in Rupees)

IMFL of 750 ml bottle (on the basis of the actual consumption of the shop during 2002-03)

1. Upto 6,000 bottles

57,500.00

#### Column II

- 2(h) "Licence fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the licence for exclusive privilege for selling of Foreign Liquor & Beer in a retail shop under section 24-A of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole of the Excise year or part thereof.
- 2(j) "Annual Minimum Guranteed Quantity" for a shop shall be 12 times the "Monthly Minimum Guaranteed Quantity" fixed for it, by the Excise Commissioner.

Provided that for settlement of a shop for a period less than an Excise year the "Annual Minimum Guranteed Quantity" of a shop shall be decided as per the directions issued by the Excise Commissioner, in this behalf.

#### 6. Licence fee and security deposit:

The licence in form F.L.-5D shall be granted for the period of an Excise Year or part thereof on payment of:

a. At the time of settlement of shop, licence fee in advance on the rates, fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government, from time to time, for the whole of the Excise year or part thereof.

2.	6,001 to 12,000 bottles	1,15,000.00	
3.	12,001 to 25,000 bottles	2,30,000.00	
4.	25,001 to 50,000 bottles	4,60,000.00	
5.	50,001 to 75,000 bottles	6,90,000.00	
6.	75,001 to 1,00,000 bottles	9,20,000.00	
7.	1,00,001 and above bottles	11,50,000.00	

### 8. Eligibility conditions for applicants:

Applicants for licence of a retail shop must fulfill the following conditions, namely:-

 Be a citizen of India and permanent resident of Uttaranchal as defined by the State Govt. from time to time

# 8. Eligibility conditions for applicants:

Applicants for licence of a retail shop must fulfill the following conditions, namely:-

- (a) Be a citizen of India and permanent resident of Uttaranchal as defined by the State Govt. from time to time.
- (b) Garhwal & Kumaun Mandal Vikas Nigams, Ex- Army Personnel Welfare Enterprise Ltd. & Co-operative Societies of Ex- Army Personnels may also apply for retail shops

However private individuals shall be allowed to take only one shop (either Country liquor or Foreign liquor).

(B.C. Chandola) Excise Commissioner, Uttaranchal.

#### **Uttaranchal Government**

#### Office of the Excise Commissioner

No.:120/7-Licence-S/2004-2005

Dehradun: Dated: June, 10, 2004

# **Notification**

In exercise of the powers under section 41 of the U.P Excise Act, 1910 (U.P. Act No. IV of 1910), (As applicable to the State of Uttaranchal), the Excise Commissioner, Uttaranchal with the previous sanction of the State Government makes the following rules with a view to amend the Uttaranchal Excise (Settlement of Licence for Retail Sale of Country Liquor) Rules, 2001.

The Uttarakhand Excise (Settlement of Licence for Retail Sale of Country Liquor) (SeventhAmendment) Rules, 2004.

### (1) Short Title and Commencement

- (1) These Rules may be called The Uttaranchal Excise (Settlement of licences for Retail Saleo of Country Liquor) (Seventh Amendment) Rules, 2004.
- (2) They shall come into force from 11th June, 2004.

## (2) Amendment of Rules:

In the Uttaranchal Excise (Settlement of licences for Retail Saleo of Country Liquor) Rule 2001, as amended upto date, hereinafter referred to as the said Rules, for Rule 2 (g)(i),6(a) & 9 set out in column No. I Below, the rule set out in column No.II shall be substituted:-

#### Column I

#### 2. Definitions:

(g) "Licence fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the licence for exclusive privilege for selling of country liquor in retail under section 24 of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole of the Excise year or part thereof.

Provided that for the period starting from 01 May 2003 and ending on 31.03.2004 the amount of licence fee shall be equal to:-

Total amount of licence fee fixed for the year 2003-04 of that particular shop MINUS Amount of licence fee recovered

One bulk liter of Spiced Country liquor of 36% v/v will be equivalent to 36/25 bulk liter of Plain Country Liquor of 25% v/v

#### Column II

#### 2. Definitions:

(g) "Licence fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the licence for exclusive privilege for selling of country liquor in retil under section 24 of the Act as fixed by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for the whole of the Excise year or part thereof.

#### 9. Eligibility conditions for applicants:

Applications for licenace of a retail Country Liquor shop must fulfill the following conditions, namely:-

(a) Be a citizen of India and permanent resident of Uttaranchal as defined by the State Government from time to time.

#### 9. Eligibility conditions for applicants:

Applications for licenace of a retail Country Liquor shop must fulfill the following conditions, namely:-

- (a) Be a citizen of India and permanent resident of Uttaranchal as defined by the State Government from time to time.
- (b) Garhwal & Kumaun Mandal Vikas Niagams, Purva Sanik Kalyan Udhayam Ltd. & Registered Co-operative Sovities of Ex-Army Personnels may also apply for retail shops

However private individuals shall be allowed to take only one shop (either Country Liquor or Foreign Liquor) in one District.